

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2015—ज्येष्ठ 22, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2015

क्र. ई-1-180-2015-5-एक.—श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे (1987) वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2015

क्र. ई-1-182-2015-5-एक.—श्री अरूण तिवारी, भाप्रसे (1991), राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व, पुनर्वास

तथा पुनर्वास आयुक्त, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए उनका प्रभार श्री के. के. सिंह भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को आगामी आदेश तक अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. ई.-5-395-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 25 मई से 1 जून 2015 तक आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एम. एम. उपाध्याय की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे, महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा

प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, साप्रवि (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. एम. उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. एम. उपाध्याय द्वारा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आई. एस. दाणी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. एम. उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एम. उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-877-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अमित तोमर, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा को दिनांक 18 मई से 1 जून 2015 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अमित तोमर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अमित तोमर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोमर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-631-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय दुबे, आयएस., कमिश्नर, इन्दौर संभाग को दिनांक 27 मई से 3 जून 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे., श्रम आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, वित्त निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर, इन्दौर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, इन्दौर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय दुबे द्वारा कमिश्नर, इन्दौर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, कमिश्नर, इन्दौर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

क्र. ई.-5-483-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. सिंह, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, विकअ-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को दिनांक 22 मई से 8 जून 2015 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. के. सिंह की अवकाश अवधि में उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री संजय सिंह, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को तथा विकअ-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का प्रभार श्री राजीव रंजन, भाप्रसे., विकअ-सह-आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त (अति.प्र.) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, विकअ-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. के. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, विकअ-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय सिंह, उच्च शिक्षा विभाग तथा श्री राजीव रंजन, विकअ-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-609-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 11 से 15 मई 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 मई 2015 एवं 16, 17 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

क्र. ई.-5-791-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवडे, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2015 द्वारा दिनांक 23 से दिनांक 30 मई 2015 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 21 से 26 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 मई 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 21 मई 2015

क्र. ई.-5-687-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीतेश व्यास, आयएएस., आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 25 से दिनांक 30 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री नीतेश व्यास की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे., आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीतेश व्यास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीतेश व्यास द्वारा आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीतेश व्यास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीतेश व्यास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 मई 2015

क्र. ई.-5-905-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राजीव चन्द्र दुबे, आयएएस., कलेक्टर, जिला शिवपुरी को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राजीव चन्द्र दुबे की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख, राप्रसे., अपर कलेक्टर, शिवपुरी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव चन्द्र दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजीव चन्द्र दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला शिवपुरी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख, कलेक्टर, जिला शिवपुरी के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजीव चन्द्र दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव चन्द्र दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-904-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र कियावत, आयएएस., उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल को दिनांक 1 से 10 जून 2015 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-789-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शिवानंद दुबे, आयएएस., कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुर्ना को समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च, 2015 द्वारा दिनांक 13 अप्रैल से 2 मई 2015 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 11 एवं 12 अप्रैल 2015 तथा 3 एवं 4 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, में वृद्धि के अनुक्रम में अब उन्हें दिनांक 13 अप्रैल से दिनांक 8 मई 2015 तक छब्बीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 अप्रैल 2015 एवं 9, 10 मई 2015 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 25 मार्च 2015 अनुसार यथावत्।

क्र. ई.-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को दिनांक 28 मई से दिनांक 2 जून 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त,

महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एफको तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-1-183-2015-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री आदित्य सिंह	नीमच
2	श्री अंकित अस्थाना	मंदसौर
3	श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा	ग्वालियर
4	श्री आशीष वशिष्ठ	होशंगाबाद
5	श्री अवि प्रसाद	बालाघाट
6	श्री जंगिद लोकेश कुमार रामचन्द्रा	सीहोर
7	सुश्री नेहा मीना	धार
8	श्री रिशव गुप्ता	सिंगरौली
9	श्री रोमन सैनी	जबलपुर
10	श्री साकेत मालवीय	सागर
11	सुश्री शीतला पाटले	गुना
12	सुश्री तन्वी हुडा	रतलाम

(2) श्री आशीष भार्गव, भाप्रसे. (2012) को पूर्व में आदेश क्रमांक ई-1-208-2014-5-एक, दिनांक 23 फरवरी 2015 द्वारा सहायक कलेक्टर, मण्डला पदस्थ किया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त वे पूर्ववत् सहायक कलेक्टर, मण्डला पदस्थ रहेंगे।

(3) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्यभार ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 23 मई 2015

क्र. ई.-5-826-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, आयएस., कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 25 से 30 मई 2015 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मई 2015 एवं 31 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर, जिला नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जी. व्ही. रश्मि द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जी. व्ही. रश्मि को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जी. व्ही. रश्मि अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई.-5-862-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सिबी चक्रवर्ती एम., आयएस., संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 22 मई से 3 जून 2015 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास, म.प्र. जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2015

क्र. एफ-ए-5-12-2014-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल जस्टिस श्री सुशील कुमार पालो, उच्च न्यायालय

ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	11-5-2015 से दिनांक 15-5-2015 तक.	5	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10-5-2015 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17-5-2015 सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

क्र. एफ 1ए-26-2013-ब-2-दो.—डॉ. असित यादव, भापुसे., अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर जिला उज्जैन को दिनांक 23 से 27 दिसम्बर 2014 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 28 दिसम्बर 2014 के विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर मेरठ (उत्तरप्रदेश) की अवकाश यात्रा सुविधा की कार्यान्वयन अनुमति प्रदान की जाती है :—

1.	डॉ. असित यादव	—	स्वयं
2.	डॉ. रितु	—	पत्नी
3.	अभिमन्यु	—	पुत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, अपर मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मई 2015

फा. क्र. 3(बी)1-2009-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सुश्री ऋतु चौहान, न्यायाधीश, वर्ग-2, बैतूल, मध्यप्रदेश का त्याग-पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2015 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है।

भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

फा. क्र. 3(ई)102-80-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन, श्री जी. एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम एडिटर के स्थायी पद पर रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर तीन वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2015

क्र. एफ-3-233-2012-बत्तीस—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-223-2012 बत्तीस, दिनांक 12 फरवरी 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

भोपाल विकास योजना, 2005 4.61 में निर्दिष्ट
प्रावधान ए-3 कृषि परिक्षेत्र (ए-2 सहित) परिक्षेत्र में
स्वीकार्य एवं स्वीकृत उपयोग

(1)

ग्रामीण केन्द्र, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सेवाएं
(आबादी से 0.5 किलोमीटर की परिधि में) आर्चर्ड,
पौध नर्सरी वायर लैस एवं संचार वन एवं परिक्षेत्र में
एट्रेक्टिव उद्योग (भोजवेट लेण्ड क्षेत्र छोड़कर) उद्यानिकी,
डेरी एवं कुक्कुट पालन, दुग्धशीत केन्द्र, गोल्फ कोर्स,
खेल मैदान, बाजार उद्यान, फल उद्यान, नर्सरी, स्टेपल
फसल के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र चारागाह एवं वृक्षारोपण.

उपांतरण पश्चात् उपान्तरित स्वीकार्य एवं
स्वीकृत उपयोग

(2)

दुग्ध शीत केन्द्र के पश्चात् शीत केन्द्र/वेयर हॉऊस
(निवेश क्षेत्र में बड़े तालाब के केंचमेंट के ग्रामों को
छोड़कर) (Cold storage/warehouse) जोड़ा जाता है.

उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मई 2015

क्र. एफ 1 (बी) 84-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अन्तर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा, 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600—39100+5400/-में वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है.

क्र. लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मुख्य सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/स्थल
(1)	(2)	(3)

1	02 श्री मनीष कुमार, 96, लक्ष्मी बिहार, नियर मालवीय चौक, रेल्वे रोड, गणेशपुर, रूड़की, हरिद्वार 247667.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
---	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)
2	05	डॉ. अतुल गौर, सरस्वती नगर, नियर मेरी कॉन्वेन्ट स्कूल, रसूलीया, होशंगाबाद, म. प्र. 461001.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, भोपाल
3	10	श्री प्रवीण झा, 1463-सी, सेक्टर-37 बी, चंडीगढ़-160036.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
4	12	श्री प्रकाश चन्द्र लोहिया, ग्राम व पोस्ट ओसारा, तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, म. प्र. 458778.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, नीमच
5	17	श्रीमती नेहा डोडिया, 31-ए, फ्लेट नं. 201, शिवधाम कॉलोनी, लिम्बोदी, खण्डवा रोड, इन्दौर, म. प्र. 452001.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
6	18	श्री ब्रजेश चौधरी, चौरा मंदिर के पास, कोठी बाजार, होशंगाबाद, म. प्र. 461001.	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर
7	20	डॉ. अजिता जौहरी, पुत्री श्री रवीन्द्र कुमार जौहरी, सराफा बाजार, जैन मंदिर के पास, खण्डवा, म. प्र. 450001.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, हरदा
8	24	श्रीमती गौतमा मेश्राम, द्वारा-श्री पेनेन्द्र मेश्राम द्वारा श्री हेमन्त यादव, 1112/1, आश्रय परिसर, विवेकानंद वार्ड, राज किराना के पीछे, यादव कॉलोनी, जबलपुर, म. प्र. 482002.	जिला सीन आफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, जबलपुर

2. नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

3. नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे.

4. नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

5. राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

6. नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

7. परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

8. नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

9. प्रत्याशियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

10. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की पृविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

11. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जून 2015

क्र. एफ. 3-73-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-73-2013-बत्तीस, दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम बैरागढ़ चीचली	476 489	5.80 0.87	कृषि वृक्षारोपण (नहर)	आवासीय एवं वृक्षारोपण (नहर)

शर्तें :—

- कोलार मुख्य मार्ग से जाने वाले वर्तमान 4.4 मीटर चौड़े मार्ग को 24 मीटर चौड़ा करना अनिवार्य होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					2. नहर के पूर्व दिशा में जाने वाले 3 मीटर चौड़े वर्तमान डामर मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा.
					3. नगर के पश्चिम दिशा में जाने वाले 5.6 मीटर चौड़े वर्तमान डब्ल्यू. बी. एम. मार्ग को 18 मीटर चौड़ाई करना अनिवार्य होगा.
					4. प्रश्नाधीन भूमि के मध्य से निकलने वाली नहर के दोनों ओर तथा करवा नदी के किनारे से भोपाल विकास योजना, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा.

योग : 6.67 हेक्टेयर

(2) उक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुद्गल, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जून 2015

संशोधन

क्र. 1777-1163-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये विभागीय अधिसूचना क्रमांक 1343-1163-2015-पचास-2, दिनांक 24 अप्रैल 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सतना	सतना	श्री किशोर कुमार मिश्रा VIIIth CJ-I.

AMENDMENT

No. 1777-1163-15-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) Partly amendment in departmental notification No. 1343-1163-2015-L-2 the State Government hereby designate Judicial Officers as specified in the column (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Districts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Satna	Satna	Shri Kishore Kumar Mishra, VIIth CJ-I

भोपाल, दिनांक 2 जून 2015

क्र. 1781-1400-15-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अशोक नगर	अशोक नगर	कु. चेतना पालीवाल, 1st CJ-II & JMFC.
2	बड़वानी	बड़वानी	श्री संजय कुमार गुप्ता, IIInd CJ-I.
3	भोपाल	भोपाल	श्रीमती सुरेखा मिश्रा, XVIth CJ-I & ACJM.
4	झाबुआ	झाबुआ	श्री राजकुमार चौहान, IIIrd CJ-II & JMFC.
5	रायसेन	रायसेन	श्रीमती वर्षा शर्मा 1st AJ to 1st CJ-I & JMFC.
6	राजगढ़ (ब्यावरा)	राजगढ़	श्री विवेक शिवहरे, 1st AJ to 1st CJ-II & JMFC.
7	सिवनी	सिवनी	श्रीमती दीपिका मालवीय IIInd CJ-I & ACJM.

No. 1781-1400-15-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in the column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)	Name of the Districts (3)	Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
1	Ashok Nagar	Ashok Nagar	Ku. Chetana paliwal, 1st CJ-II & JMFC
2	Barwani	Barwani	Shri Sanjay Kumar Gupta IInd CJ-I.
3	Bhopal	Bhoal	Smt. Surekha Mishra XVIth CJ-I & ACJM
4	Jhabua	Jhabua	Shri Rajkumar Chouhan, IIIrd CJ-II & JMFC.
5	Raisen	Raisen	Smt. Varsha Sharma. 1st AJ to 1st CJ-I & JMFC
6	Rajgarh (Bioara)	Rajgarh	Shri Vivek Shivhare, 1st AJ to 1st CJ-II & JMFC
7	Seoni	Seoni	Smt. Dipika Malviya, IInd CJ-I & ACJM

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 6 मई 2015

क्र. 589-स्वा.-पी.एच.-2015.—बैतूल जिले में संक्रामक रोग हैजा के फैलने की संभावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस संसर्गिक बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त लागू किये जाएं :

अस्तु, मैं, ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश आपत्तिजनक हैजा, ज्वर, आंत्रशोथ, विनियम-1979 के नियम-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूँ कि:—

1. अधिसूचित क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपाहारगृहों, भोजनालयों, होटलों में जनता के लिये खाद्य पेय पदार्थ निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग में लाने के लिये कायम रखी गयी स्थापना में विक्रय या निर्मूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थान पर :—

(क) बासी मिठाईयों तथा नमकीन वस्तुओं व सड़े-गले फलों, व सब्जियों, मास-मछली अण्डों की बिक्री प्रतिनिषिद्ध रहेगी.

(ख) बासी मिठाईयों एवं नमकीन वस्तुओं, फल, सब्जियों, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, शर्बत, मांस-मछली, अण्डे, कुल्फी, आईसक्रीम आदि पदार्थ बर्फ के लड्डू व चूसने वाले तरल पदार्थ बिक्री हेतु खुले नहीं रखे जायेंगे. उन्हें जालीदार ढक्कनों से ढककर अथवा कांच के बंद शोकेस, बंद अलमारी अथवा पारदर्शी आवरण से ढककर इस प्रकार रखे जावेंगे ताकि वे मक्खी, मच्छर आदि जन्तुओं या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित या अस्वास्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें.

2. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचित क्षेत्र के बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण-2 (1-क) में उल्लेखित वस्तुओं तथा पकाये गये भोजन को न तो लायेगा और न ही ले जायेगा.

3. इस आदेश द्वारा प्रतिबंधित अवधि में अधिसूचित क्षेत्र के किसी बाजार भवन, दुकान स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान प्रवेश करने निरीक्षण करने एवं उनमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करने तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पाई गई अस्वस्थ कारक, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं का अधिग्रहण करवाकर हटावें व नष्ट करें या उसे ऐसी रीति से निर्वतन करने के लिये जिसे वह मानव उपयोग में लाई जाने से रोकी जा सके. जनहित में मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 के नियम 5(5) के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के विक्रय, संग्रह एवं निर्माण हेतु जारी किये गये खाद्य लायसेंस निलंबित और मध्यप्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किये जावेंगे एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, धारा 16 के तहत दण्ड में सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है :-

अधिसूचित क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित अधिकारियों को उनके कार्य के क्षेत्र में प्राधिकृत करता हूँ :-

1. समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी.

2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय/समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बैतूल
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक.
6. जिला आपूर्ति अधिकारी/सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी.

उपरोक्त उल्लेखित पदाधिकारी अधिसूचित क्षेत्र में किन्हीं नालों, नालियों, गटरों, पानी के गड्ढों, पोखर, मलकुण्डों, संडासों संक्रामक वस्त्रों, बिस्तरों, कुडा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाने व उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वचन करने अथवा उसके संबंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे.

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि या अन्य आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील रहेगा.

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय,
उज्जैन मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 28 मई 2015

क्र. एफ-1-2-14-रा.स.-यू.ए. 1-564.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन द्वारा डॉ. शील सिंधु पाण्डेय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ मैथामेटिकल साइंस, रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय, जबलपुर को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति,

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 2 जून 2015

(1)	(2)	(3)
23	श्री अरूण शुक्ल	वन क्षेत्रपाल
24	श्री कृष्ण कुमार नामदेव	वन क्षेत्रपाल
25	श्री ईदेश अचाले	वन क्षेत्रपाल
26	श्री सचिन सयदे	वन क्षेत्रपाल

क्र. 3599-874-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रथम प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के वन क्षेत्रपालों के लिये) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री धीरेन्द्र पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
2	श्री महिपत सिंह राणा	वन क्षेत्रपाल
3	श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
4	श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
5	श्री पप्पू चौहान	वन क्षेत्रपाल

होशंगाबाद संभाग

6	श्री वरिन्दर सिंह	वन क्षेत्रपाल
7	श्री शिवकुमार गुर्जर	वन क्षेत्रपाल
8	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल
9	श्री मंगेश बुन्देला	वन क्षेत्रपाल

जबलपुर संभाग

10	श्री रवि कुमार कुशवाहा	वन क्षेत्रपाल
11	श्री राजकुमार यादव	वन क्षेत्रपाल
12	डॉ. दिनेश कुमार डहारे	वन क्षेत्रपाल
13	श्री ज्ञानसिंह पंवार	वन क्षेत्रपाल
14	श्री कमलेश कुमार सालवी	वन क्षेत्रपाल
15	श्री हेमन्त शर्मा	वन क्षेत्रपाल
16	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
17	श्री अबधेश धाकड़	वन क्षेत्रपाल
18	श्री धर्मेन्द्र सिंह राठौर	वन क्षेत्रपाल
19	श्री हिमांशु राय	वन क्षेत्रपाल
20	श्री राजू सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल
21	कु. कुमुद बुनकर कोरी	वन क्षेत्रपाल
22	श्रीमती दीपा पटेल	वन क्षेत्रपाल

इन्दौर संभाग

27	श्री मुकेश रघुवंशी	वन क्षेत्रपाल
28	श्रीमती सीमा सिंह	वन क्षेत्रपाल
29	कु. वंदना मेहतो	वन क्षेत्रपाल
30	सुश्री विधि सिरोलिया	वन क्षेत्रपाल
31	सुश्री शर्मिला झिल्वे	वन क्षेत्रपाल
32	सुश्री माया मुजाल्दे	वन क्षेत्रपाल
33	कु. प्रीति परमार	वन क्षेत्रपाल

रीवा संभाग

34	श्री शरद सिंह	वन क्षेत्रपाल
35	श्री धर्मेन्द्र बिसेन	वन क्षेत्रपाल

क्र. 3603-867-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री बृन्दावन लाल वर्मा	सहायक वन संरक्षक
2	श्री अविनाश जोशी	सहायक वन संरक्षक
3	श्री राजेश शर्मा	सहायक वन संरक्षक
4	श्री हम्दुल्लाह खान	सहायक वन संरक्षक
5	सुश्री शोभना वर्मा	वनक्षेत्रपाल
6	श्री मुकेश पटेल	सहायक वन संरक्षक
7	श्री लाल सुधाकर सिंह	सहायक वन संरक्षक
8	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
9	श्री मनोज कुमार सिंह	सहायक वन संरक्षक

होशंगाबाद संभाग

10	श्रीमती नीता शाह	वन क्षेत्रपाल
----	------------------	---------------

सागर संभाग		(1)	(2)	(3)	
11	श्री कुलदीप सिंह ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	3	श्री महिपत सिंह राणा	वन क्षेत्रपाल
12	कु. रीतु तिवारी	वन क्षेत्रपाल	4	धीरेन्द्र पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल
जबलपुर संभाग				ग्वालियर संभाग	
13	श्री लवित भारती	सहायक वन संरक्षक	5	श्री संजय सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल
14	श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक			
15	श्री क्षितिज कुमार	सहायक वन संरक्षक			होशांगबाद संभाग
16	श्रीमती पुष्पा सिंह	वन क्षेत्रपाल	6	श्री मंगेश बुन्देला	वन क्षेत्रपाल
17	श्री चन्द्रिका सिंह	वन क्षेत्रपाल	7	श्री शिवकुमार गुर्जर	वन क्षेत्रपाल
18	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक	8	श्री वरिन्दर सिंह	वन क्षेत्रपाल
19	कु. प्रियांशी सिंह	सहायक वन संरक्षक	9	श्रीमती नीता शाह	वन क्षेत्रपाल
20	श्री देवेश गौतम	सहायक वन संरक्षक			इन्दौर संभाग
21	कु. तृष्टि सिंह	वन क्षेत्रपाल			
22	श्रीमती नम्रता अग्रवाल	वन क्षेत्रपाल	10	कु. वंदना मेहतो	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग		11	श्रीमती सीमा सिंह	वन क्षेत्रपाल
23	श्री खुर्शीद खान	वन क्षेत्रपाल	12	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
24	श्री सुभाष साकल्ले	वन क्षेत्रपाल	13	कु. प्रीति परमार	वन क्षेत्रपाल
25	श्री अखिल शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	14	सुश्री माया मुजाल्दे	वन क्षेत्रपाल
26	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	सहायक वन संरक्षक	15	श्री मुकेश रघुवंशी	वन क्षेत्रपाल
27	श्रीमती शीको कीचौलिया	सहायक वन संरक्षक	16	सुश्री विधि सिरोलिया	वन क्षेत्रपाल
28	श्री संजय कुमार चौहान	सहायक वन संरक्षक	17	कु. शर्मिला झिल्वे	वन क्षेत्रपाल
29	श्री एल्विन बर्मन	सहायक वन संरक्षक			जबलपुर संभाग
30	श्री विजेन्द्र खोब्रागडे	सहायक वन संरक्षक			
31	कु. वन्दना ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	18	श्री रवि कुमार कुशवाहा	वन क्षेत्रपाल
32	श्री राजीव दुबे	सहायक वन संरक्षक	19	श्री राजकुमार यादव	वन क्षेत्रपाल
			20	डॉ. दिनेश कुमार डहारे	वन क्षेत्रपाल
			21	श्री ज्ञानसिंह पंवार	वन क्षेत्रपाल
			22	श्री कमलेश कुमार सालवी	वन क्षेत्रपाल
			23	श्री हेमन्त शर्मा	वन क्षेत्रपाल
			24	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
			25	श्री अवधेश धाकड़	वन क्षेत्रपाल
			26	श्री धमेन्द्र सिंह राठौर	वन क्षेत्रपाल
			27	श्रीमती सुनीता उइके	वन क्षेत्रपाल
			28	श्रीमती विद्या गिनारे	वन क्षेत्रपाल
			29	श्रीमती नम्रता अग्रवाल	वन क्षेत्रपाल
			30	श्री हिमांशु राय	वन क्षेत्रपाल
			31	श्री राजू सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल

क्र. 3609-868-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—सामान्य विधि (पुस्तकों सहित-वन क्षेत्रपालों) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग		
1	श्री पप्पू चौहान	वन क्षेत्रपाल
2	श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
32	कु. कुमुद बुनकर कोरी	वन क्षेत्रपाल	11	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल
33	श्रीमती दीपा पटैल	वन क्षेत्रपाल	12	श्री प्रदीप कुमार खत्री	सहायक वन संरक्षक
34	श्री अरूण शुक्ल	वन क्षेत्रपाल	13	श्रीमकी ज्योत्सना खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
35	श्री कृष्ण कुमार नामदेव	वन क्षेत्रपाल	14	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	सहायक वन संरक्षक
36	श्री इंदेश अचाले	वन क्षेत्रपाल			
37	श्रीमती पुष्पा सिंह	वन क्षेत्रपाल			
38	श्री देवेश गौतम	वन क्षेत्रपाल			
39	कु. तृष्टि सिंह	वन क्षेत्रपाल	15	सुश्री शीको कीचौलिया	सहायक वन संरक्षक
40	श्री भक्तराज पंवार	वन क्षेत्रपाल	16	श्री संजय कुमार चौहान	सहायक वन संरक्षक
41	श्री सचिन सयदे	वन क्षेत्रपाल	17	श्री एल्विन बर्मन	सहायक वन संरक्षक
42	श्री धमेन्द्र बिसेन	वन क्षेत्रपाल	18	श्री विजेन्द्र खोब्रागड़े	सहायक वन संरक्षक
			19	कु. वन्दना ठाकुर	वन क्षेत्रपाल

रीवा संभाग

इन्दौर संभाग

जबलपुर संभाग

43	श्री नितेश कुमार गंगले	वन क्षेत्रपाल
44	श्री शरद सिंह	वन क्षेत्रपाल
45	श्री कल्याण सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
46	श्री महेन्द्र कुमार पालेचा	वन क्षेत्रपाल

20	कु. प्रयाशी सिंह	सहायक वन संरक्षक
21	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
22	श्री चन्द्रिका सिंह	वन क्षेत्रपाल
23	श्री संजीव कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक
24	श्री क्षितिज कुमार	उप वन संरक्षक
25	श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
26	श्री लवित भारती	सहायक वन संरक्षक

रीवा संभाग

क्र. 3613-865-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 18 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—द्वितीय सामान्य विधि (पुस्तकों सहित-सहायक वन संरक्षकों के लिये) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

27	श्री राजीव दुबे	सहायक वन संरक्षक
28	श्री रमेश गेहलोत	सहायक वन संरक्षक

1	श्री मनोज कुमार सिंह	सहायक वन संरक्षक
2	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
3	श्री लाल सुधाकर सिंह	सहायक वन संरक्षक
4	श्री मुकेश पटेल	सहायक वन संरक्षक
5	सुश्री शोभना वर्मा	वन क्षेत्रपाल
6	श्री हम्दुदल्लाह खान	सहायक वन संरक्षक
7	श्री राजेश शर्मा	सहायक वन संरक्षक
8	श्री अविनाश जोशी	सहायक वन संरक्षक
9	श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल

क्र. 3617-863-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—तृतीय प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित-के लिये) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

10	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	वन क्षेत्रपाल
----	------------------------------	---------------

होशंगाबाद संभाग

1	श्रीमती ज्योति मुड़िया	सहायक वन संरक्षक
2	श्री यशोजित सिंह परमार	सहायक वन संरक्षक
3	श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
4	श्री वीरेन्द्र सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5	श्री अविनाश जोशी	सहायक वन संरक्षक	33	श्री शिव प्रसाद मैठानी	सहायक वन संरक्षक
6	श्री राजेश शर्मा	सहायक वन संरक्षक	34	कु. अनामिका कनौजिया	वन क्षेत्रपाल
7	श्री मनोज कुमार सिंह	सहायक वन संरक्षक	35	श्री विजय सिंह	सहायक वन संरक्षक
8	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक	जबलपुर संभाग		
9	श्री लाल सुधाकर सिंह	सहायक वन संरक्षक	36	श्री लवित भारती	सहायक वन संरक्षक
10	श्री मुकेश पटेल	सहायक वन संरक्षक	37	श्री सतीश चन्द्र मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
11	श्री बृन्दावन लाल वर्मा	सहायक वन संरक्षक	38	श्री ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव	सहायक वन संरक्षक
12	श्रीमती शोभना वर्मा	वन क्षेत्रपाल	39	श्री क्षितिज कुमार	सहायक वन संरक्षक
13	श्री हम्दुल्लाह खान	सहायक वन संरक्षक	40	श्री राजकुमार यादव	वन क्षेत्रपाल
होशंगाबाद संभाग			41	श्री ज्ञानसिंह पंवार	वन क्षेत्रपाल
14	श्री वीरभद्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल	42	श्री कमलेश कुमार सालवी	वन क्षेत्रपाल
15	श्री राजेन्द्र कुमार सक्सेना	वन क्षेत्रपाल	43	श्री हेमन्त शर्मा	वन क्षेत्रपाल
16	श्रीमती नीता शाह	वन क्षेत्रपाल	44	श्रीमती सुनीता उइके	वन क्षेत्रपाल
सागर संभाग			45	श्रीमती नम्रता अग्रवाल	वन क्षेत्रपाल
17	सुश्री रीतू तिवारी	वन क्षेत्रपाल	46	श्री राजू सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल
इन्दौर संभाग			47	कु. कुमुद बुनकर कोरी	वन क्षेत्रपाल
18	श्री मुकुन्द सिंह नोरकें	वन क्षेत्रपाल	48	श्री भक्तराज पंवार	वन क्षेत्रपाल
19	श्री खुर्शीद खान	वन क्षेत्रपाल	49	श्री देवेश गौतम	सहायक वन संरक्षक
20	श्री मुकेश रघुवंशी	वन क्षेत्रपाल	50	श्री सचिन सयदे	वन क्षेत्रपाल
21	श्री बहादुर सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	51	श्रीमती पुष्पा सिंह	वन क्षेत्रपाल
22	श्री सुभाष साकल्ले	वन क्षेत्रपाल	52	श्री चन्द्रिका सिंह	वन क्षेत्रपाल
23	श्री अखिल शुक्ला	सहायक वन संरक्षक	53	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक वन संरक्षक
24	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	सहायक वन संरक्षक	54	कु. प्रियांशी सिंह	सहायक वन संरक्षक
25	सुश्री विधि सिरोलिया	वन क्षेत्रपाल	55	श्री प्रदीप श्रीवास्तव	वन क्षेत्रपाल
26	श्रीमती शीको कीचौलिया	सहायक वन संरक्षक	56	श्रीमती मनीषा कौरव	वन क्षेत्रपाल
27	श्री संजय कुमार चौहान	सहायक वन संरक्षक	57	श्री बी. पी. तिवारी	वन क्षेत्रपाल
28	श्री एल्विन बर्मन	सहायक वन संरक्षक	रीवा संभाग		
29	श्री विजेन्द्र खोब्रागड़े	सहायक वन संरक्षक	58	श्री धमेन्द्र बिसेन	वन क्षेत्रपाल
30	कु. वन्दना ठाकुर	वन क्षेत्रपाल	59	श्री शरद सिंह	वन क्षेत्रपाल
31	श्रीमती रेखा काले	वन क्षेत्रपाल	60	श्री राजीव दुबे	सहायक वन संरक्षक
32	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	क्र. 3619-866-अका-विपप्र-2015.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये नियत विभागीय परीक्षा, दिनांक 20 मार्च 2015 को प्रश्नपत्र—लेखा (बिना पुस्तकों के वन क्षेत्रपालों		

के लिये) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनुक्रमांक (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	(1)	(2)	(3)
भोपाल संभाग			सागर संभाग		
1	श्री पप्पू चौहान	वन क्षेत्रपाल	21	कु. रीतू तिवारी	वन क्षेत्रपाल
होशंगाबाद संभाग			जबलपुर संभाग		
2	श्री कृष्णपाल सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल	22	श्री रवि कुमार कुशवाहा	वन क्षेत्रपाल
3	श्री महिपत सिंह राणा	वन क्षेत्रपाल	23	श्री राजकुमार यादव	वन क्षेत्रपाल
4	श्री धीरेन्द्र पाण्डेय	वन क्षेत्रपाल	24	डॉ. दिनेश कुमार डहारे	वन क्षेत्रपाल
5	श्रीमती दीपिका मिंज	वन क्षेत्रपाल	25	श्री ज्ञानसिंह पंवार	वन क्षेत्रपाल
6	श्री वरिन्दर सिंह	वन क्षेत्रपाल	26	श्री कमलेश कुमार सालवी	वन क्षेत्रपाल
7	श्री मंगेश बुन्देला	वन क्षेत्रपाल	27	श्री हेमन्त शर्मा	वन क्षेत्रपाल
8	श्री शिवकुमार गुर्जर	वन क्षेत्रपाल	28	श्री अबधेश धाकड़	वन क्षेत्रपाल
ग्वालियर संभाग			29	श्री हिमांशु राय	वन क्षेत्रपाल
9	श्री विनोद सिंह	वन क्षेत्रपाल	30	श्री राजू सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल
10	श्री संजय सिंह राजपूत	वन क्षेत्रपाल	31	कु. कुमुद बुनकर कोरी	वन क्षेत्रपाल
11	श्री नरेन्द्र कुमार रवि	वन क्षेत्रपाल	32	श्रीमती दीपा पटैल	वन क्षेत्रपाल
12	श्रीमती सोनम गड़पाल	वन क्षेत्रपाल	33	श्रीमती मनीषा कौरव	वन क्षेत्रपाल
इन्दौर संभाग			34	श्री अरूण शुक्ल	वन क्षेत्रपाल
13	श्री मुकेश रघुवंशी	वन क्षेत्रपाल	35	श्री कृष्ण कुमार नामदेव	वन क्षेत्रपाल
14	श्रीमती सीमा सिंह	वन क्षेत्रपाल	36	श्री ईदेश अचाले	वन क्षेत्रपाल
15	कु. वंदन मेहतो	वन क्षेत्रपाल	37	श्री भक्तराज पंवार	वन क्षेत्रपाल
16	सुश्री विधि सिरोलिया	वन क्षेत्रपाल	38	श्री सचिन सयदे	वन क्षेत्रपाल
17	कु. शर्मिला झिल्वे	वन क्षेत्रपाल	39	श्री सुरसिंग कल्वेलिया	वन क्षेत्रपाल
18	सुश्री माया मुजाल्दे	वन क्षेत्रपाल	रीवा संभाग		
19	कु. प्रीति परमार	वन क्षेत्रपाल	40	श्री कल्याण सिंह धाकड़	वन क्षेत्रपाल
20	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल	41	श्री नितेश कुमार गंगले	वन क्षेत्रपाल
			42	श्री धर्मेन्द्र बिसेन	वन क्षेत्रपाल
			43	श्री महेन्द्र कुमार पालेचा	वन क्षेत्रपाल
			44	श्री शरद सिंह	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
मण्डी निर्वाचन, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
 अशोकनगर, दिनांक 26 मई 2015

क्र. मण्डी-निर्वा.-2012-1069.—कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 542, दिनांक 1 मई 2013 से कृषि उपज मण्डी समिति अशोकनगर के लिये श्री मलकीतसिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, अशोकनगर को मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-11 (ज) के लिये अधिसूचित किया गया था. श्री मलकीतसिंह का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (ज) अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख अंकित मण्डी के लिये अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	130-अशोकनगर	श्री रामवली इमरतसिंह रघुवंशी, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, अशोकनगर.	ग्राम घटावदा, पोस्ट अजलेश्वर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर.	1972 की धारा 11 (ज)

क्र. मण्डी-निर्वा.-2012-1071.—कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 544, दिनांक 1 मई 2013 से कृषि उपज मण्डी समिति अशोकनगर के लिये श्रीमती प्रेमबाई आदिवासी, सदस्य जिला पंचायत अशोकनगर को मण्डी अधिनियम 1972 की धारा-11 (ज) के लिये अधिसूचित किया गया था. श्रीमती प्रेमबाई, आदिवासी का कार्यकाल पूर्ण होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (ज) अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति को उनके नाम के सम्मुख अंकित मण्डी के लिये अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	132-ईसागढ़	श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री रामवली इमरतसिंह रघुवंशी, पंच वार्ड क्रमांक 09 ग्राम पंचायत घटावदा, जनपद पंचायत, ईसागढ़.	ग्राम घटावदा, पोस्ट अजलेश्वर, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर.	1972 की धारा 11 (ज)

आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

संदर्भ : सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, भोपाल का पत्र क्रमांक मण्डी-मण्डी निर्वा/102/15-16/115, दिनांक 25 मई 2015

क्र. 1189-स्था-निर्वा.-2015.—मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1)(ज) के अन्तर्गत श्री मनमोहन नागर, अध्यक्ष, जिला पंचायत, जिला भोपाल एवं धारा 11(1) (झ) के अन्तर्गत श्री जीवन सिंह मैथिल, अध्यक्ष, भोपाल को, को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड, भोपाल को कृषि उपज मण्डी समिति के लिये सदस्य मनोनीत किया गया है.

निशांत वरवड़े, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. 819-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस, एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई, 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 6 जून 2015 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपांतरण करते हुये, राज्य शासन द्वारा निर्मांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुये थाना अवधपुरी की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से :-

- (एक) नीचे दी सारणी के कॉलम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं.
- (दो) सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है.

सारणी

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से अपवर्जित किया गया है. (1)	स्थानीय क्षेत्र ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक (2)	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3)	
पुलिस थाना, गोविन्दपुरा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	1. रिषीपुरम पेस-1 2. अविनाश नगर 3. अराधना नगर, रिसी सिटी 4. बेला होम्स, टेगौर नगर, सूरज कुंज 5. पलास परिसर, अवन्तिका एवेन्यू 6. आधारशिला, साईं नगर, लक्ष्य होम्स 7. अवधपुरी फेस-1, ए-बी सेक्टर 8. विवेकानन्द, लवकुश नगर व रामनगर 9. तुलसी परिसर, रचना बिहार, पियुष नगर 10. क्रिस्टल कैम्पस, श्रीराम, अवन्तिका, निर्मल पैलेस 11. समन्वय नगर 12. वल्लभ नगर, जवाहर नगर 13. सौम्यबिहार फेस-1, 2, 3, न्यू-फोर्ट व एक्सटेंशन कॉलोनी 14. कंचन नगर, साईं गार्डन, युगान्तर कॉलोनी 15. आस्था बिहार, मेगनम केम्पस, कुन्दन नगर, प्रेम नगर 16. एसआरजी. केम्पस, दीप नगर 17. कौशल्या नगर, उषा प्रभा, एसआरजी केम्पस 18. रिषीपुरम-2, शिवलोक-5, दीप मोहनी, अनुपम नगर-4 19. सरला होम्स, संगम गार्डन, ड्रीम बंगला 20. सौम्या पार्क लेम्ड, पत्रकार द्विवेदी कालोनी 21. वर्धमान ग्रीनवेली, पूर्वांचल बीडीए कालोनी	वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 61 वार्ड क्र. 61 वार्ड क्र. 61 वार्ड क्र. 61 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60 वार्ड क्र. 60	पुलिस थाना अवधपुरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

(1)	(2)	(3)	
पुलिस थाना, पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	22. बालाजी नगर झुग्गी	वार्ड क्र. 61	पुलिस थाना अवधपुरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
	23. शिवलोक फेस-1	वार्ड क्र. 61	
	24. रीगल होम्स, रीगल मोहनी	वार्ड क्र. 61	
	25. कृष्णा नगर	वार्ड क्र. 61	
	26. श्यामा पल्ली	वार्ड क्र. 61	
	27. क्रिस्टल केम्पस	वार्ड क्र. 61	
	28. तन्वी स्टेट	वार्ड क्र. 61	
	29. अमृतपुरी कालोनी	वार्ड क्र. 61	
	30. टैगोर नगर	वार्ड क्र. 61	
	31. राधाकुंज कालोनी	वार्ड क्र. 61	
	पुलिस थाना, बिलखिरिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.	32. ग्राम खजूरी कला	
33. ग्राम झागरिया नई बस्ती		वार्ड क्र. 61	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2015

क्र. 820-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2015.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 819-जे.सी.-1-भोपाल-2015, दिनांक 6 जून 2015 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 6th June 2015

No. 819-J.C.I.-Collector-Bhopal-2015.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F-2(K)15-99-B-3-two dated 11th October 2004 and number F-2(K)9-08-B-3-two Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of district Collector/SP/DPO, in meeting dated 6th June 2015 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby Notifies Police Station Avadhपुरी Comprising the areas specified below with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

- (1) Exclude form the police station mentioned in column (1) of the tabe below the3 local areas specified in column (2) there of and
- (2) Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with Tehsil and Distt.) from which excluded (1)	LOCAL AREA	Name of police station (with Tehsil and Distt.) from which included (3)
	Name of Villages Settlement/Ward No. (2)	
Police Station Govindpura, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.	1. Rishipuram Phase-1 2. Avinash Nagar 3. Aradhana nagar, Rishi City	Police Station Avadhपुरी, Tehsil Hujur, Distt. Bhopal.
		Ward No. 60 Ward No. 60 Ward No. 60

(1)	(2)	(3)
	4. Bela Homes, Tegore Nagar, Suraj Kunj	Ward No. 60
	5. Palas Parishar, Avantika Avenue	Ward No. 60
	6. Adharshila, Sai Nagar, Lakshya Homes	Ward No. 60
	7. Awadhपुरी Phase-I, A-B Sector	Ward No. 61
	8. Vivekanand, Luvkush Nagar and Ram Nagar	Ward No. 61
	9. Tulsi Parishar, Rachna Bihar, Piyush Nagar	Ward No. 61
	10. Cristal Campus, Shriram, Avantika, Nirmal Palace	Ward No. 61
	11. Samanvay Nagar	Ward No. 60
	12. Vallabh Nagar, Jawahar Nagar	Ward No. 60
	13. Somya Vihar Phase 1,2,3 New Fort and Extention Colony	Ward No. 60
	14. Kanchan Nagar, Sai Garden, Yugantar Colony	Ward No. 60
	15. Aastha Vihar, Megnum Campus, Kundan Nagar, Prem Nagar	Ward No. 60
	16. SRG Campur, Deep Nagar	Ward No. 60
	17. Kaushalya Nagar, Usha Prabha, SRG Campus	Ward No. 60
	18. Rishipuram Phase-2, Shivlok-5, Deep Mohani, Anupam Nagar P-4.	Ward No. 60
	19. Sarla Homes, Sangum Garden Dream Bunglow	Ward No. 60
	20. Saumya Parkland, Patrakar Dwedi Colony	Ward No. 60
	21. Vardhman Greenvelly, Purvanchal BDA Colony	Ward No. 60
Police Station Piplani, Tehsil Huzur, District Bhopal.	22. Balaji Nagar Jhuggi	Ward No. 61
	23. Shivlok Phase-I	Ward No. 61
	24. Regal Homes, Regal Mohni	Ward No. 61
	25. Krishna Nagar	Ward No. 61
	26. Shyamapalli	Ward No. 61
	27. Crishtal Campus	Ward No. 61
	28. Tanvi State	Ward No. 61
	29. Amritपुरी Colony	Ward No. 61
	30. Tagore Nagar	Ward No. 61
	31. Radhakunj colony	Ward No. 61
Police Station Bilkharia, Tehsil Huzur, District Bhopal.	32. Village Khajuri Kala	Ward No. 61
	33. Village Jhagaria New Basti	Ward No. 61

Police Station

Avadhपुरी, Tehsil
Hujur, Distt. Bhopal.

Police Station

Avadhपुरी, Tehsil
Hujur, Distt. Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NISHANT WARWADE, Collector & Ex-officio Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जून 2015

क्र. 1766-1719-2015-एक-4.—राज्य शासन विधान सभा उप निर्वाचन, 2015-गरोठ विधान सभा क्षेत्र, जिला मन्दासौर के लिए शासकीय मुद्रणालय में मतपत्रों की छापाई एवं मुद्रण से संबंधित कार्य आदि की देखरेख/समन्वय के लिये श्रीमती वंदना शर्मा, उपायुक्त (राजस्व), भोपाल को विधान सभा उप चुनाव 2015 संपन्न होने तक की अवधि के लिए पदेन उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण तिवारी, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जून 2015

आदेश

क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अशोकनगर जिले की विद्यमान तहसील मुंगावली की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त-1, अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त-2 पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के तथा विद्यमान तहसील चन्देरी की सीमाएं उसमें से राजस्व वृत्त-2, थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त-3, विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है और तहसील मुंगावली के राजस्व वृत्त अथाईखेड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 7 एवं 19 से 22 तक एवं राजस्व वृत्त-2, पिपरई के पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 27 एवं 34 से 37 तक इस प्रकार कुल 20 पटवारी हल्के एवं तहसील चन्देरी के राजस्व वृत्त-2, थुबौन के पटवारी हल्का क्रमांक 22 से 37 एवं राजस्व वृत्त-3, विक्रमपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 38, 39 एवं 57 इस प्रकार कुल 19 पटवारी हल्के समाविष्ट करते हुए एक नई तहसील पिपरई का सृजन करती है, जिसमें कुल 39 पटवारी हल्के तथा 106 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय पिपरई में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2015

क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-34-2008-सात-शा. 6, दिनांक 10 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. सिंह, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 10th June 2015

ORDER

No. F-1-34-2008-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby alter the limits of existing Tehsil Mungawali of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle 1 Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle-2, Piprai (total 20 Patwari Halkas) and of existing Tehsil Chanderi by excluding therefrom Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle-2 Thubaun and Patwari Halka Number 38, 39 and 57 of Revenue Circle-3, Vikrampur and creates a new Tehsil Piprai by comprising of Patwari Halka Number 1 to 7 and Patwari Halka Number 19 to 22 of Revenue Circle-1, Athaikheda and Patwari Halka Number 23 to 27 and 34 to 37 of Revenue Circle-2, Piprai (total 20 Patwari Halkas) of present Tehsil Mungawali and Patwari Halka Number 22 to 37 of Revenue Circle-2, Thubaun and Patwari Halka Number 38, 39 and 57 of Revenue Circle-3 Vikrampur (total 19 Patwari Halkas) of Present Tehsil Chanderi, in which the total Patwari Halkas shall be 39 and villages shall be 106. The headquarter of the said Tehsil shall be at Piprai.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. SINGH, Principal Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 29 मई 2015

क्र. भू-अर्जन (अ-82)-01-2014-15-177.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	बजाग	शोभापुर	295 अंशभाग	0.05	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 01 डिण्डौरी.	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
			528 अंशभाग	0.01		
			544 अंशभाग	1.82		
			546	0.40		
			547/2	0.80		
			547/3	0.80		
			548/1	0.42		
			548/2	0.60		
			548/3	0.40		
			548/4	0.20		
			548/5	0.20		
			549	0.80		
			550	1.35		
			551	1.41		
			552	0.73		
			553	1.51		
			554/1	0.41		
			554/2	0.41		
			555	0.80		
			556	1.22		
			557/1	0.81		
			557/2	0.80		
			558	0.30		
			559	0.46		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			560	0.78		
			561	0.20		
			562	1.12		
			563	1.13		
			564	1.57		
			565	0.44		
			566 अंशभाग	0.75		
			567/1 अंशभाग	0.04		
			567/3 अंशभाग	1.01		
			567/4 अंशभाग	0.32		
			567/5	0.40		
			567/6 अंशभाग	0.09		
			570 अंशभाग	0.07		
			571 अंशभाग	0.83		
			574	0.48		
			575	3.84		
			576	0.15		
			577	0.28		
			578/1	1.39		
			578/2	0.40		
			579/1	0.79		
			579/2	0.79		
			579/3	0.79		
			580	1.85		
			581	0.09		
			582/1	0.18		
			582/2	0.20		
			582/3	0.20		
			582/4	0.02		
			583 अंशभाग	0.46		
			584 अंशभाग	0.12		
			586 अंशभाग	0.48		
			587 अंशभाग	1.24		
			588 अंशभाग	0.67		
			595 अंशभाग	0.32		
			596	1.09		
			597 अंशभाग	0.12		
			598 अंशभाग	0.53		
			621	0.26		
			653/1 अंशभाग	0.02		
			653/2	0.03		
			653/3	0.03		
			653/4	0.03		
			654	0.13		
			655/1	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			655/2	0.16		
			655/3	0.15		
			657/1	0.12		
			657/2	0.13		
			657/3	0.13		
			658	0.01		
			659/1	0.07		
			659/2	0.07		
			660	0.20		
			661	0.91		
			662	0.28		
			664	0.09		
			665	0.22		
			666	0.27		
			667	0.01		
			668	0.39		
			669	0.17		
			671	0.01		
			672	0.10		
			673	0.17		
			674	0.93		
			675	0.27		
			676/1	0.06		
			676/2	0.05		
			676/3	0.05		
			677	0.28		
			678	0.32		
			679	0.10		
			682	0.68		
			683	2.61		
			685	1.54		
			686	0.10		
			687	0.40		
			688	4.28		
			689	0.83		
			691/1	0.87		
			691/2	0.87		
			692	0.81		
			693	0.73		
			695	0.22		
			696/1	0.35		
			696/2	0.40		
			697/1	0.34		
			697/2	0.34		
			697/3	0.35		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			699	0.20		
			700/1	0.47		
			700/2	0.47		
			700/3	0.47		
			701	0.40		
			703	1.45		
			704	2.67		
			705/1	0.19		
			705/2	0.19		
			705/3	0.19		
			706	0.79		
			707	1.55		
			708	0.54		
			709/1	0.06		
			709/2	0.06		
			709/3	0.06		
			709/4	0.06		
			711	0.40		
			712/1	0.80		
			712/2	1.05		
			713/1	1.56		
			713/2	0.80		
			713/3	0.40		
			713/4	0.40		
			713/5	0.50		
			714	1.61		
			715	1.61		
			716	3.11		
			717/1	1.70		
			717/2	1.64		
			718	0.87		
			719	1.34		
			720	0.71		
			721	0.82		
			722/1	0.26		
			722/2	0.26		
			722/3	1.32		
			723	4.66		
			724	1.13		
			725	0.19		
			726/1	0.20		
			726/2	0.20		
			726/3	0.68		
			727	0.77		
			728	0.14		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			729	0.18		
			730	0.60		
			732	0.28		
			733	0.10		
			735	0.28		
			736	1.83		
			737	0.42		
			738	0.45		
			739/1	0.45		
			739/2	0.44		
			739/3	1.05		
			740	0.05		
			741	0.60		
			742	0.88		
			743	0.84		
			744	0.41		
			745	0.41		
			746/1	0.35		
			746/2	0.55		
			746/3	0.10		
			746/4	0.25		
			746/5	0.17		
			746/6	0.17		
			747	0.85		
			748	0.09		
			749	0.47		
			750	0.40		
			752	1.37		
			753/2	1.17		
			753/3क	1.20		
			753/3ख	1.80		
			754	0.53		
			755	1.64		
			758/1	0.40		
			758/2	0.41		
			759/1	0.40		
			759/2	0.80		
			759/3	0.40		
			759/4	0.58		
			761/1	0.20		
			761/2	0.10		
			761/3	0.20		
			761/4	0.20		
			761/5	0.20		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			761/6	0.45		
			761/7	0.20		
			761/8	0.20		
			761/9	1.20		
			762/1	0.12		
			762/2	0.07		
			762/3	0.10		
			762/4	0.01		
			762/5	0.30		
			762/6	0.10		
			762/7	0.02		
			762/8	0.11		
			762/9	0.02		
			762/10	0.03		
			763	0.02		
			764	0.70		
			765	0.12		
			766	0.50		
			767	0.14		
			768/1	0.28		
			768/2	1.40		
			769	1.21		
			770	1.94		
			771	0.31		
			772	1.21		
			773	1.94		
			774	0.31		
			775	0.37		
			776	0.15		
			777	0.15		
			778/1	0.05		
			778/2	0.05		
			778/3	0.05		
			779	0.19		
			780	0.13		
			781	0.13		
			782	0.34		
			784	0.23		
			785	0.07		
			786	0.10		
			787	0.25		
			788	0.04		
			789	0.06		
			790	0.09		
			791	0.03		
			793	0.22		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			794/1	1.74		
			794/2	0.40		
			794/3	1.07		
			794/4	1.07		
			796/2	0.72		
			798	1.95		
			800	0.48		
			802	0.39		
			803	0.55		
			804	0.51		
			805	2.39		
			806	0.94		
			807	1.20		
			808/1	1.11		
			808/2	0.80		
			808/3	1.60		
			809	1.19		
			810	0.40		
			811	0.33		
			812	0.40		
			813	0.43		
			815	0.41		
			816	1.17		
			817	1.17		
			818	2.23		
			819	1.17		
			820	1.31		
			821	0.40		
			822	0.40		
			823	0.33		
			824	3.19		
			825/1	0.69		
			825/2	0.68		
			826	4.05		
			827	1.11		
			828/1	0.50		
			828/2	0.50		
			828/3	0.50		
			828/4	0.51		
			831	1.21		
			832/1	1.01		
			832/2	0.81		
			832/3	1.02		
			833/1 अंशभाग	0.49		
			833/2	0.92		
			834 अंशभाग	1.53		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			837 अंशभाग	0.05		
			838	2.12		
			839	0.71		
			840/1	1.02		
			840/2	0.92		
			840/3	0.92		
			84 अंशभाग	0.15		
			846 अंशभाग	0.73		
			847 अंशभाग	0.22		
			852 अंशभाग	0.25		
			853 अंशभाग	0.06		
			854/1 अंशभाग	4.08		
			855	4.37		
			856 अंशभाग	4.19		
			857 अंशभाग	0.28		
			858 अंशभाग	0.18		
			860 अंशभाग	0.01		
			860 अंशभाग	1.01		
			861 अंशभाग	1.18		
			862 अंशभाग	1.36		
			888 अंशभाग	0.12		
			947/1	0.40		
			947/2	1.20		
			947/3	1.24		
			948/855	0.46		
			योग.	215.58		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए —अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नर्मदा विकास) डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)-02-2014-15-178.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (11) की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	बजाग	परसवाह	204 अंशभाग	0.13	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना
			206 अंशभाग	0.21	विकास संभाग, क्र. 01	बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
			207 अंशभाग	0.22	डिण्डौरी.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			208 अंशबाग	0.28		
			210	0.4		
			212/1	0.08		
			212/2	0.08		
			213	0.6		
			214 अंशभाग	0.11		
			215 अंशभाग	0.13		
			216 अंशभाग	0.2		
			217 अंशभाग	0.69		
			218/1	0.4		
			218/2	0.19		
			218/3	0.02		
			219	0.77		
			221 अंशभाग	0.01		
			222 अंशभाग	0.09		
			223 अंशभाग	0.13		
			224 अंशभाग	0.26		
			225	1.04		
			226/1	0.19		
			226/2	0.19		
			226/3	0.19		
			227/1	1.01		
			227/2	0.4		
			228	0.49		
			229/1	0.72		
			229/2	0.6		
			230	1.67		
			231	0.78		
			232/1	0.09		
			232/2	0.29		
			233/1	0.6		
			233/2	0.6		
			233/3	2.24		
			234	0.57		
			235	1.85		
			236/1	4.06		
			236/2	0.52		
			237	2.9		
			239	0.71		
			240	1.1		
			241	2.07		
			242	0.73		
			243	0.49		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			244/1	1.34		
			244/2	0.8		
			245	8.7		
			246	1.71		
			247	0.19		
			248	0.42		
			249	0.72		
			250	0.71		
			251	0.2		
			252	1.11		
			254	4.44		
			255	0.2		
			256	0.61		
			257 अंशभाग	0.09		
			258/1 अंशभाग	0.28		
			258/2 अंशभाग	0.14		
			258/3 अंशभाग	0.15		
			259/1 अंशभाग	0.07		
			259/2 अंशभाग	0.06		
			259/3 अंशभाग	0.14		
			259/4 अंशभाग	0.16		
			259/5 अंशभाग	0.07		
			261	2.8		
			262	1.34		
			263	1		
			264	1.28		
			265	3.82		
			266	3.88		
			270	1.21		
			272/1	1.58		
			272/2	0.4		
			273	1.04		
			274	1.85		
			278	0.8		
			279	0.35		
			281	0.29		
			282	0.3		
			283	0.3		
			284	0.3		
			285	0.22		
			286	0.23		
			287	0.36		
			288	0.1		
			290	0.88		
			291	0.2		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			292	2.74		
			293	0.65		
			294	1.51		
			295/1	1.2		
			295/2	1.2		
			296/1	1.49		
			296/2	0.4		
			296/3	0.4		
			297/1	0.69		
			297/2	0.7		
			297/3	0.7		
			298	1.29		
			299/1	0.68		
			299/2	0.4		
			300	1.44		
			301	1.01		
			302	0.74		
			303	0.75		
			304	1.07		
			305	1.01		
			306	1.46		
			308	0.64		
			309	0.65		
			310/1	0.32		
			310/2	0.32		
			311/1	0.79		
			311/2	0.78		
			312	0.53		
			313	0.53		
			314	0.53		
			315	0.81		
			316	1.94		
			317	0.7		
			318	0.63		
			319/1	0.67		
			319/2	1.2		
			322/1	0.79		
			322/2	0.27		
			324	0.32		
			325	0.3		
			326	0.18		
			327	0.2		
			328	0.61		
			329	0.3		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			330	0.36		
			331	0.4		
			332/1	1.84		
			332/2	0.8		
			333	0.16		
			334/2	0.4		
			335	0.66		
			336	0.4		
			337	1.46		
			338 अंशभाग	1.35		
			341 अंशभाग	0.45		
			342 अंशभाग	0.23		
			343	0.81		
			344 अंशभाग	0.25		
			345	1.18		
			346	1.16		
			347	0.97		
			348	0.39		
			349/1	3		
			349/2 अंशभाग	0.56		
			355/1 अंशभाग	0.22		
			255/2 अंशभाग	0.03		
			356	1.75		
			357	0.63		
			358 अंशभाग	0.35		
			359 अंशभाग	0.07		
			364/1	0.4		
			364/2	1.78		
			364/3 अंशभाग	1.48		
			365 अंशभाग	1.88		
			371	0.05		
			419 अंशभाग	0.15		
			420 अंशभाग	0.03		
			446/1 अंशभाग	0.08		
			450/2 अंशभाग	0.55		
			450/3	0.4		
			450/5 अंशभाग	0.08		
			450/6	0.8		
			451 अंशभाग	0.56		
			452/2	0.08		
			453/3 अंशभाग	0.27		
			453 अंशभाग	0.66		
			454 अंशभाग	0.53		
			455/1	0.45		
			455/2	0.45		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			455/3	0.45		
			455/4	0.45		
			455/5	0.46		
			455/6	0.1		
			457/2 अंशभाग	0.03		
			457/3	0.09		
			465 अंशभाग	0.06		
			468/1	0.05		
			468/2 अंशभाग	0.01		
			469/1	0.07		
			469/2	0.07		
			469/3	0.08		
			470/1	0.1		
			470/2	0.11		
			470/3	0.11		
			471	0.02		
			472/1	0.11		
			472/2	0.11		
			472/3	0.11		
			473/1	0.08		
			473/2	0.08		
			473/3	0.08		
			474/1 अंशभाग	0.13		
			474/2 अंशभाग	0.05		
			474/3 अंशभाग	0.04		
			476 अंशभाग	0.2		
			477 अंशभाग	0.18		
			478 अंशभाग	0.12		
			479 अंशभाग	0.2		
			482/1 अंशभाग	1.17		
			482/2 अंशभाग	1.01		
			483	0.2		
			490 अंशभाग	0.44		
			491/1 अंशभाग	1.13		
			491/2 अंशभाग	1.4		
			496/1 अंशभाग	0.07		
			496/2	0.24		
			496/3	0.24		
			496/4	0.24		
			496/5	0.25		
			497/2 अंशभाग	0.63		
			योग.	<u>158.34</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए —अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नर्मदा विकास) डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)-03-2014-15-179.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	धारा (11) की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम			(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	बजाग	पथरकुचा माल	2 3/1 3/2 4 5 6 7 8 9/1 अंशभाग 9/2 अंशभाग 9/3 9/4 9/5 अंशभाग 31 अंशभाग 32 अंशभाग 33 अंशभाग 34 35 अंशभाग 36 अंशभाग 38/2 39/1 अंशभाग 39/2 अंशभाग 39/3 41 अंशभाग 44 अंशभाग 45 अंशभाग 47 अंशभाग 48 अंशभाग 58 51 53	0.04 0.01 0.09 0.19 0.07 0.07 1.88 1.36 0.25 0.16 0.33 0.33 0.05 0.01 0.05 0.08 0.52 0.12 0.17 0.04 0.19 0.25 0.4 0.28 1.34 1.5 0.12 2.6 1.08 1.08 0.06	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 01 डिण्डौरी.	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			54/1	0.26		
			54/2	0.27		
			54/3	0.27		
			55/1	0.04		
			55/2	0.04		
			55/3	0.04		
			56	0.02		
			57	0.06		
			60	0.05		
			63	0.62		
			65	1.91		
			66	0.08		
			67	0.63		
			68	1		
			69	0.6		
			70/1	0.05		
			70/2	0.33		
			71	0.38		
			73	2.76		
			74	0.02		
			75/358	0.1		
			77/1	0.82		
			77/2	1.63		
			77/3	0.81		
			78/1	0.39		
			78/2	0.2		
			79/1	0.15		
			79/2	0.14		
			80	0.29		
			82/1	0.15		
			82/2	0.16		
			83	0.27		
			84	0.03		
			85	0.28		
			86/1	0.01		
			119	0.64		
			120 अंशभाग	1.85		
			127/3 अंशभाग	0.09		
			167/2 अंशभाग	0.02		
			169 अंशभाग	0.02		
			170/1	1.18		
			170/2	0.9		
			170/3	0.4		
			170/4	0.4		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			170/5	0.1		
			171 अंशभाग	0.48		
			172	1.3		
			173 अंशभाग	0.24		
			175/1	1.08		
			175/2 अंशभाग	0.76		
			176	1.22		
			177	2.68		
			178/1	0.74		
			178/2	0.74		
			180	4.83		
			181/1	0.02		
			181/2	0.02		
			182	1.45		
			182/356	0.03		
			184	0.2		
			185/1	0.98		
			185/2	0.98		
			185/3	0.98		
			185/4	0.97		
			185/5	0.97		
			185/6	0.97		
			186	1.55		
			188	3.63		
			189	1.16		
			190	1.06		
			191/1	0.39		
			191/2	1.89		
			191/3	0.39		
			191/4	0.39		
			192/1	0.38		
			192/2	0.37		
			192/3	0.37		
			193	2.08		
			194	2.19		
			195	1		
			196	0.9		
			197	0.78		
			198	1.2		
			199	1.41		
			200	3.39		
			203	0.26		
			204/1	0.3		
			204/2	0.25		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			86/2	0.01		
			86/3	0.01		
			86/4	0.01		
			87	0.73		
			88/535	0.22		
			91/1	0.37		
			91/2	0.38		
			92	0.41		
			93/1	0.42		
			93/2	0.4		
			94/1	0.4		
			94/2	0.76		
			94/3	0.36		
			95/1	0.17		
			95/2	0.17		
			95/3	0.18		
			95/4	0.17		
			95/5	0.18		
			95/6	0.18		
			97/1	1		
			97/2	1.05		
			97/3	0.8		
			98/1	0.23		
			98/2	0.23		
			99	0.19		
			100/1	0.04		
			100/2	0.03		
			102	0.16		
			103	0.17		
			104/1	0.05		
			104/2	0.05		
			105	2.32		
			106	2.94		
			107 अंशभाग	2.06		
			108 अंशभाग	0.13		
			110/1 अंशभाग	0.19		
			110/3 अंशभाग	0.52		
			110/4 अंशभाग	0.08		
			111/1 अंशभाग	0.4		
			111/2 अंशभाग	0.34		
			111/3	0.38		
			111/4 अंशभाग	0.35		
			111/5	0.58		
			112	0.88		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			114/1	0.55		
			114/2	0.15		
			115/1	0.64		
			115/2	1.04		
			115/3	0.4		
			116	0.79		
			117	0.76		
			118	0.6		
			205	0.71		
			206/1	0.45		
			206/2	0.23		
			207/1	0.39		
			207/2	0.39		
			208	0.06		
			210	0.15		
			214/1	0.95		
			214/2	0.53		
			214/3	0.18		
			214/4	0.39		
			214/5	0.4		
			215	0.13		
			216	0.24		
			217	0.1		
			218	0.08		
			219	0.44		
			221	0.14		
			222	0.13		
			222/355	0.15		
			223	0.01		
			224	1.88		
			225/1	0.88		
			225/2	0.89		
			226	0.22		
			227	0.11		
			229	0.1		
			230/1	0.04		
			230/2	0.04		
			232	0.38		
			232/351	0.01		
			234/1	0.12		
			234/2	0.12		
			235	0.06		
			236/1	0.02		
			236/2	0.03		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			237/1	0.03		
			237/2	0.03		
			238	0.05		
			239/1	0.09		
			239/2	0.1		
			241	0.16		
			242	0.07		
			243	0.07		
			244	0.04		
			245/1	0.03		
			245/2	0.01		
			246/1	0.1		
			246/2	0.09		
			248	0.05		
			251	0.19		
			253	0.12		
			254	0.2		
			255	0.22		
			256	0.25		
			258	1.07		
			259	1.01		
			260	1.07		
			261	0.47		
			262	1.09		
			263	1.07		
			264	1.07		
			265/1	0.4		
			265/2	0.37		
			265/3	0.37		
			266	2.35		
			267	0.93		
			268/1	0.2		
			268/2	0.46		
			268/3	0.46		
			269	1.02		
			270/1	0.52		
			270/2	1.71		
			271	0.92		
			272	0.89		
			273/1	0.56		
			273/2	0.57		
			273/3	0.57		
			273/4	0.56		
			274/1	1		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			274/2	0.4		
			275/3	0.4		
			274/4	0.99		
			275/1	0.44		
			275/2	0.44		
			276	0.6		
			277	0.7		
			278	0.34		
			279	0.84		
			281/1	2.05		
			281/2	2.05		
			281/3	2.05		
			282	0.72		
			283/1	0.45		
			283/2	0.45		
			283/3	0.44		
			283/4	0.45		
			283/5	0.45		
			284/1	0.81		
			284/2	0.41		
			285/1	0.4		
			285/2	0.81		
			286	2.56		
			287	1.8		
			288/1	0.52		
			288/2	0.53		
			288/3	0.52		
			289	1.44		
			292	0.54		
			294 अंशभाग	4.95		
			295/1अंशभाग	0.03		
			296 अंशभाग	1.53		
			297 अंशभाग	1.3		
			298	0.81		
			299	1.59		
			300	1.31		
			301	1.21		
			302	0.3		
			303	0.3		
			304	0.41		
			305	1.19		
			306/1	2.42		
			306/2	1.23		
			307	1.43		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			308	2.9		
			309/1	0.69		
			309/2	0.69		
			310/1	0.18		
			310/2	0.18		
			311	2.27		
			312	0.42		
			313	2.86		
			314/1	1.39		
			314/2	1.39		
			315/1	1.38		
			315/2	1.39		
			316/1	0.18		
			316/2	0.5		
			316/3	0.59		
			316/4	0.5		
			317/1	0.55		
			317/2	0.54		
			318	1.67		
			320	0.11		
			321	0.09		
			322	0.13		
			323	0.14		
			324	0.37		
			325	0.35		
			329	0.3		
			329/352	0.01		
			330	0.1		
			332	0.28		
			334	0.05		
			335	0.19		
			336	0.23		
			337/1	0.14		
			337/2	0.04		
			338	0.19		
			339	0.17		
			340	1.6		
			341	1.6		
			343/1	0.42		
			343/2	0.42		
			344/1	0.84		
			344/2	0.84		
			345/1	1.71		
			345/2	1.71		
			346	1.39		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			348	1.4		
			349	0.31		
			350	1.4		
			योग.	<u>227.86</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए —अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नर्मदा विकास) डिंडौर 1 में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन (अ-82)-04-2014-15-180.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास डिण्डौर द्वारा कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 9 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन द्वारा अनुसूची खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन		धारा (11) की उपधारा		सार्वजनिक प्रयोजन		
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौर	बजाग	पथरकुचा रैयत	84 अंशभाग	0.05	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 01 डिण्डौर.	अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं अन्य कार्य.
			86 अंशभाग	0.09		
			100/1 अंशभाग	0.02		
			100/2 अंशभाग	0.01		
			101 अंशभाग	0.02		
			102 अंशभाग	0.21		
			104 अंशभाग	0.23		
			109 अंशभाग	0.58		
			110 अंशभाग	0.42		
			113 अंशभाग	0.08		
			115/1 अंशभाग	0.22		
			115/2 अंशभाग	0.25		
			121/1 अंशभाग	0.61		
			124 अंशभाग	0.28		
			125/1	0.33		
			125/2	0.33		
			125/3	0.33		
			125/4	0.33		
			125/5	0.32		
			125/6	0.32		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			126/1	0.36		
			126/2 अंशभाग	0.31		
			127	0.94		
			128/1	0.45		
			128/2	0.45		
			128/3	0.46		
			129	0.28		
			131	0.16		
			132	1.59		
			133/1	0.82		
			133/2	0.83		
			134/1	0.25		
			134/2	0.25		
			134/3	0.25		
			135/1	0.96		
			135/2	0.95		
			135/3	0.96		
			136	1.01		
			137	1.07		
			138 अंशभाग	0.54		
			139 अंशभाग	0.1		
			140 अंशभाग	0.03		
			141 अंशभाग	0.02		
			145/2 अंशभाग	0.59		
			146/1 अंशभाग	0.2		
			146/2 अंशभाग	0.41		
			146/3 अंशभाग	0.45		
			146/4 अंशभाग	0.14		
			148 अंशभाग	0.02		
			158/1 अंशभाग	0.61		
			158/2	1.02		
			160/3	0.01		
			160/4	0.01		
			160/5	0.02		
			165/1 अंशभाग	0.5		
			165/2 अंशभाग	0.1		
			168	2.31		
			169/1	0.26		
			169/2	0.26		
			170/1 अंशभाग	0.29		
			170/2 अंशभाग	0.22		
			170/3 अंशभाग	0.22		
			170/4 अंशभाग	0.05		
			172/1 अंशभाग	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			173/2 अंशभाग	0.07		
			190 अंशभाग	0.01		
			191 अंशभाग	0.01		
			192 अंशभाग	0.01		
			193 अंशभाग	0.09		
			194 अंशभाग	0.06		
			195/1	0.08		
			195/2	0.1		
			195/3	0.17		
			197/2	0.27		
			197/3 अंशभाग	0.01		
			198 अंशभाग	0.12		
			211 अंशभाग	0.14		
			213/1	0.72		
			213/2 अंशभाग	0.53		
			213/3 अंशभाग	0.43		
			213/4 अंशभाग	0.39		
			214/3 अंशभाग	0.19		
			214/4	0.19		
			226/1 अंशभाग	1.45		
			226/2 अंशभाग	0.27		
			226/3 अंशभाग	0.19		
			226/4 अंशभाग	0.18		
			226/5 अंशभाग	0.06		
			230	0.34		
			235	0.32		
			236/1	0.89		
			236/2 अंशभाग	0.48		
			236/3 अंशभाग	0.57		
			236/4 अंशभाग	0.49		
			237/1 अंशभाग	0.34		
			238	3.63		
			241	0.58		
			242	1.35		
			243	3.3		
			246/1	0.34		
			246/2	0.34		
			246/3	0.34		
			246/4	0.35		
			247/1	0.21		
			247/2	0.21		
			247/2	0.2		
			247/4	0.2		
			248	0.7		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			250	3.54		
			252/1	0.38		
			252/2	0.38		
			253	0.38		
			254	0.39		
			255	0.39		
			256/1	0.26		
			256/2	0.42		
			256/3	0.6		
			257/1	0.5		
			257/2	2.1		
			257/3 अंशभाग	0.26		
			257/4	0.4		
			257/5 अंशभाग	0.01		
			257/6	0.26		
			258/1 अंशभाग	0.13		
			258/2 अंशभाग	0.15		
			260/1	1.01		
			260/2 अंशभाग	0.86		
			261	1.02		
			262	1.3		
			263/1	0.97		
			263/2	1.18		
			264/1	0.32		
			264/2	0.32		
			265/1	0.33		
			265/2	0.33		
			266	0.47		
			267	1.64		
			268 अंशभाग	0.14		
			269 अंशभाग	1.33		
			272 अंशभाग	0.75		
			273/2 अंशभाग	0.03		
			273/3 अंशभाग	0.04		
			275/1	0.51		
			275/2	0.5		
			275/3	0.51		
			275/4 अंशभाग	0.38		
			276 अंशभाग	0.28		
			277/1	0.57		
			277/2	0.6		
			277/3	0.4		
			277/4	0.4		
			278	0.42		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			279	1.19		
			280	1.26		
			281	1.06		
			282	0.33		
			283	0.33		
			284	0.34		
			285	1.62		
			286/1	0.88		
			286/2	0.88		
			286/3	0.88		
			287/1	0.39		
			287/2	0.39		
			287/3	0.38		
			287/4	0.38		
			288	1.47		
			290	0.45		
			291	0.93		
			293/1	0.23		
			293/2	0.8		
			294/1	0.11		
			294/2	0.1		
			294/3	0.1		
			295	0.86		
			296	1.05		
			297	0.4		
			298	0.44		
			299	0.45		
			300	0.77		
			301	0.43		
			302	0.74		
			303/1	0.24		
			303/2	0.12		
			303/3	0.23		
			304	2.15		
			305/1	1.43		
			305/2	0.4		
			306	1.09		
			307	1.74		
			308	0.65		
			309/1	1.11		
			309/2	1.1		
			310	1.67		
			311/1	0.29		
			311/2	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			311/3	0.07		
			311/4	0.07		
			311/5	0.08		
			312/1	0.8		
			312/2	0.78		
			313	1		
			314	0.8		
			315	0.78		
			316	1.32		
			317	0.95		
			योग .	<u>112.550</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नर्मदा विकास), डिंडौरी 1 में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छवि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2015

क्र. 1573-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगावां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा-11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	अबेर	1.25	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना की मुख्य नहर एवं इसकी माइनर और सब माइनर के निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
			योग . . . <u>1.25</u>		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1575-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	मेहुती	0.80	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
			योग. . 0.80		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1577-भू-अर्जन-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि मझगवां शाखा नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि के अर्जन की प्रक्रिया पूर्व में की जा चुकी है इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा-11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पतौड़ा	0.600	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर संभाग क्र. 2 सतना (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना की पवैया माइनर एवं सब माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
			योग. . 0.600		

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(ग) ग्राम का नाम—देवली

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.137 हेक्टर.

विदिशा, दिनांक 16 अप्रैल 2015

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)
416	0.095	लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम
415/1	0.021	देवली से बरेठ बाया ठरका
415/3	0.021	टीकोद मार्ग के निर्माण के अंतर्गत.
कुल . . .	0.137	

प्र. क्र.-9-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम नंबर (1) से (2) में वर्णित भूमि अनुसूची के कालम नं. (3) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा पद घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिले का नाम—विदिशा

(ख) तहसील—कुरवाई

भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 30 मई 2015

पत्र क्र. 518-भू-अर्जन-2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कॉलम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम-पिपरियांकला, तहसील-शहपुरा, जिला-जबलपुर में पिपरियांकला-भैरोघाट मार्ग में हिरन नदी पर पुल पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है, केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—जबलपुर

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) नगर/ग्राम—पिपरियांकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि स्वामी का नाम/पिता/पति का नाम	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
94/1	0.070	इमरती बाई बशरह नं. 12/1	0.070
95/1	0.020	फुल्ली बाई बेवा पूरन, घनश्याम वगैरह	0.020
95/2	0.010	फुल्ली बाई बेवा पूरन, घनश्याम वगैरह	0.010
		कुल रकबा . . .	0.100

2. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.—पिपरियांकला-भैरोघाट मार्ग में हिरन नदी पर पुल पहुंचमार्ग हेतु.

3. भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु संभाग, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा),
मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 जून 2015

क्र. 3654-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात की समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—खेरासी
(घ) क्षेत्रफल—0.090 हेक्टर.

सर्वे नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
372	0.090

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—खेरासी तालाब की नहर निर्माण हेतु शेष प्रभावित भूमि. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास
बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2015

क्र. 1549-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—कुंआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.591 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
1415	0.008
1622	0.096
1623	0.053
1445	0.070
1446	0.064
1626	0.168
1452	0.140
1453	0.064
1454	0.084
1299	0.028
1298	0.024
1297	0.016
1460	0.060
1291	0.080
1458	0.112
1449	0.160
1300	0.032
1412	0.118
1413	0.036
1415	0.048
1411	0.068
1410	0.008
1408	0.160
1603	0.004
1602	0.020
1407	0.024
1377	0.034
1332	0.117
1333	0.045
1334	0.028
1335	0.075
1336	0.058
1337	0.032

(1)	(2)	अनुसूची	
1376	0.024	(1) भूमि का वर्णन—	
1373	0.240	(क) जिला—सतना	
1374	0.016	(ख) तहसील—रघुराजनगर	
1372	0.004	(ग) नगर/ग्राम—पवैया	
1371	0.008	(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.151 हेक्टेयर.	
1338	0.032		
1339	0.045	खसरा	क्षेत्रफल
1340	0.052	नं.	(हेक्टेयर में)
1351	0.064	(1)	(2)
1349	0.004	110	0.020
1348	0.004	111	0.106
1341	0.016	112	0.008
1342	0.016	113	0.028
1343	1.240	139	0.016
1345	0.004	140	0.010
1344	0.004	141	0.012
1524	0.028	138	0.122
1523	0.128	725	0.038
1522	0.120	128	0.136
1451	0.008	129	0.012
1448	0.080	130	0.064
1455	0.088	131	0.058
1302	0.012	134	0.076
1301	0.040	132	0.048
1657	0.016	133	0.036
1456	0.084	34	0.024
1459	0.080	33	0.048
	योग . . .	32	0.076
		31	0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर		30	0.048
परियोजना की कुंआ सब माइनर नम्बर-1 एवं स्केप चैनल		29	0.096
के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर		40	0.016
स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		21	0.100
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		20	0.024
परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		19	0.040
		18	0.030
		17	0.060
क्र. 1551-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस		164	0.096
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		165	0.016
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		288	0.047
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और		287	0.048
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,		286	0.008
2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि		280	0.128
निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—			

(1)	(2)	(1)	(2)
281	0.008	109	0.006
292	0.008	76/2	0.004
284	0.010		योग . . . 0.114
291	0.010		
285	0.074	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बम्हौरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
290	0.074	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
298	0.012		
293	0.084		
296	0.096		
635	0.040		
	योग . . . 2.151		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुंआ सब माइनर नम्बर-1 एवं पवैया माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1553-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—मैनपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.114 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41	0.008
39	0.016
57	0.008
61	0.012
78	0.012
79	0.048

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—महदेवा पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.088 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
512	0.058
146	0.024
144	0.006
	योग . . . 0.088

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1557-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—रजरबार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.012 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
456	0.012
योग . . .	0.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1559-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—सेमरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.822 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
254	0.016
398	0.020

(1) (2)

399	0.120
251	0.024
238	0.008
122	0.030
239	0.012
116	0.050
117	0.072
115	0.024
110	0.160
108	0.032
111	0.032
57	0.004
52	0.140
53	0.078

योग . . . 0.822

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1561-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—देवरी बूत
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.111 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
354/1/1	0.026
357	0.006
272/1	0.043
327	0.008

(1)	(2)
343	0.011
340	0.015
योग . .	<u>0.111</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1563-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—देवरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.125 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
206	0.004
406/1/क	0.030
406/1/ख	0.010
668/1/ख	0.021
669/1/ख	0.032
670/2	0.028
योग . .	<u>0.125</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1565-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—कोटर
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.788 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134/2	0.030
135/2	0.020
855	0.012
858	0.016
859	0.028
1127	0.028
1128	0.012
3173/1/ग	0.065
3155/3	0.092
3906	0.065
4315	0.116
3735/1	0.044
3735/2	0.048
3735/3	0.132
3735/5	0.080
योग . .	<u>0.788</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की कुबरी माइनर एवं मुख्य नहर और माइनर, सबमाइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1567-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि

निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—सतना	
(ख) तहसील—कोटर	
(ग) नगर/ग्राम—इटौर कोठार	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.168 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.040
85	0.012
177	0.004
137	0.012
42	0.092
43	0.008
योग . .	<u>0.168</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की उमरी माइनर एवं बम्हौरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1569-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—सतना	
(ख) तहसील—कोटर	
(ग) नगर/ग्राम—गोलहटा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.062 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
61/1/1	0.045

(1) (2)

83	0.004
84	0.013
योग . .	<u>0.062</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1571-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—बरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.058 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
331	0.048
332	0.010
योग . .	<u>0.058</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्र. 414-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को, उनके वर्तमान कार्य के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का कार्य आगामी आदेश तक करने हेतु निर्देशित करते हैं।

जबलपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्र. C-1974-दो-14-1-2015.— श्री बी. एल. पवार, सहायक ग्रेड एक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500—200—10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300—34800+ ग्रेड पे रु. 4200) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर दिनांक 01 मई 2015 से की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पद पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनकी पदोन्नति स्वयमेव निरस्त समझी जावेगी एवं उनकी पदोन्नति पर आगामी एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. B-1741-दो-2-26-2011.— श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 17 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए अठारह दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. B-1743-चार-8-42-77.— श्री दिलीप कुमार मिश्र, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, सीहोर) को दिनांक 20 से 24 अप्रैल 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 अप्रैल 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार मिश्र, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, सीहोर) को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिलीप कुमार मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1745-दो-2-109-2006.— श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 फरवरी 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1747-दो-2-58-2014.— श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 16 से 20 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1749-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 02 से 05 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6, 7 एवं 8 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. B-1751-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 23 से 27 मार्च 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 मार्च 2015 के एवं पश्चात् में दिनांक 28 एवं 29 मार्च 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2015

क्र. 419-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्री राजीव कुमार करमहे, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, शुजालपुर, जिला शाजापुर.	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर, जिला शाजापुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 25th April 2015

No. 574-CJ.-II-1329.—WHEREAS, a departmental enquiry has been ordered to be initiated against Shri Sandeep Soni, Civil Judge, Class-II, Chhindwara for committing acts of grave misconduct as a Judicial Officer.

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tempering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE, in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Sandeep Soni, Civil Judge, Class-II, Chhindwara under suspension with immediate effect with the headquarters at JABALPUR during the period of suspension. He is further directed to report to the District and Sessions Judge, Jabalpur, in compliance of the order. As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court,
SHAIENDRA SHUKLA, Principal Registrar.
(Vigilance).

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्र. सी-1904-तीन-6-2-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1), (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपतः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी

क्र.	न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती पल्लवी द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
2.	श्री अग्नीन्ध कुमार द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
3.	श्री प्रवीण पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
4.	श्री देवदत्त, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
5.	सुश्री निधि श्रीवास्तव, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	सागर	सागर
6.	श्री मानवेन्द्र पवार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	बड़वानी	बड़वानी
7.	श्री निर्मल मण्डोरिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	अशोकनगर	अशोकनगर
8.	श्री कमलेश मीणा, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	अशोकनगर	अशोकनगर
9.	कु. चेतना पालीवाल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	अशोकनगर	अशोकनगर
10.	श्री नीरज पवैया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	अशोकनगर	अशोकनगर
11.	श्री आनंद गौतम, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	मुंगावली	अशोकनगर
12.	श्री दीपक चौधरी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	चंदेरी	अशोकनगर
13.	कु. सारिका बावरे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	राजगढ़	राजगढ़
14.	श्रीमती मंजूल पाण्डे, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	नौगांव	छतरपुर
15.	श्री वीरेन्द्र जोशी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	मंदसौर	मंदसौर
16.	श्री राकेश पाटीदार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	मंदसौर	मंदसौर
17.	श्री भारत सिंह कनेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	मंदसौर	मंदसौर
18.	श्री एस. के. कौशल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	नारायणगढ़	मंदसौर
19.	श्री परमानंद चौहान, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	नारायणगढ़	मंदसौर
20.	श्री संतोष बघेल, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	गरोठ	मंदसौर
21.	श्री कमलेश भरकुंदिया, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	गरोठ	मंदसौर
22.	श्री ऋषिराज त्रिवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी	भानपुरा	मंदसौर

Jabalpur, the 29th April 2015

No. B-1807-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Shashikala Chandra, Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST(POA) Act, E. N. Khandwa for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter E. N. Khandwa.

No. B-1809-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P. C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Chandra Mohan Upadhyay, Presiding Officer of the court of IInd Additional District & Sessions Judge, Katni for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter Katni.

क्र. बी-1811-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-2974-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 8 के खण्ड (2) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	श्री अजय कांत पाण्डे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर, मुँरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया तथा टीकमगढ़.

No. B-1811-III-10-40-78- (Economic Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-2974-III-10-40-78(Economic Offences) dated 10th April 2013, namely:—

AMENDMENT

In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 8 the Following

entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
"8	Shri Ajay Kant Pandey, CJM, Gwalior.	Gwalior	Gwalior, Morena, Sheopur, Bhind, Shivपुरी, Guna, Ashoknagar, Datia & Tikamgath.

क्र. बी-1813-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक डी-1128-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 14 मार्च 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7 के खण्ड (2) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	श्रीमती प्रीती सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर, कटनी, दमोह, मंडला, रीवा, सतना, सीधी, सागर, पन्ना, छतरपुर, शहडोल."

No. B-1813-III-10-40-78- (Economic Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. D-1128-III-10-40-78(Economic Offences) dated 14th March 2012, namely:—

AMENDMENT

In the schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 the following

entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Smt. Preeti Singh, JMFC, Jabalpur.	Jabalpur.	Jabalpur, Katni, Damoh Mandla, Rewa, Satna, Sidhi, Sagar, Panna, Chhatarpur, Shahdol.

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2015

क्र. B-1876-तीन-10-42-75 (सतना-उचेहरा).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी-1046, तीन-10-42-75 (सतना-उचेहरा), दिनांक 12 मार्च 2012 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, उचेहरा की श्रृंखला न्यायालय, सतना से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. B-1876-III-10-42-75 (Satna-Uchehra).—High Court Notification No. D-1046, III-10-42-75 (Satna-Uchehra) dated 12th March 2013, so far as it relates to

holding Link Court of Civil Judge, Class-I, Uchehra to Satna, is hereby stands cancelled.

क्र. B-1878-तीन-10-42-75 (डिण्डौरी-शहपुरा).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-3194, तीन-10-42-75 (डिण्डौरी-शहपुरा), दिनांक 17 जून 2014 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शहपुरा की श्रृंखला न्यायालय, डिण्डौरी से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. B-1878-III-10-42-75 (Dindori-Shahpura).—High Court Notification No. B-3194, III-10-42-75 (Dindori-Shahpura) dated 17th June 2014, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge, Class-II, Shahpura to Dindori, is hereby stands cancelled.

क्र. B-1880-तीन-10-42-75 (देवास-सोनकच्छ).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-6974, तीन-10-42-75 (देवास-सोनकच्छ), दिनांक 18 सितम्बर 2013 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, सोनकच्छ की श्रृंखला न्यायालय, देवास से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. B-1880-III-10-42-75 (Dewas-Sonkachh).—High Court Notification No. C-6974, III-10-42-75 (Dewas-Sonkachh) dated 18th September 2013, so far as it relates to holding Link Court of Civil Judge Class-II, Sonkachh to Dewas, is hereby stands cancelled.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.)

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2015

क्र. 412-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री ओंकार नाथ, रजिस्ट्रार (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी.—श्री ओंकार नाथ, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर Secretary, Rule Making Committee (Criminal Rules) and Committee under section 123 of the C.P.C.के पद का कार्य भी सम्पादित करते रहेंगे।

जबलपुर, दिनांक 1 मई, 2015

क्र. 428-गोपनीय-2015-दो-3-1-2015 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री राजेश नन्देश्वर	भोपाल	जीरापुर	राजगढ़	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री मनोज कुमार शर्मा	उज्जैन	लौण्डी	छतरपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.